

लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन संपर्क स्कंध

संसदीय ज्ञानपीठ
नई दिल्ली - 110001
22 जून,
2017

सं 39/1/2017/पीपीआर

(मीडिया के सूचनार्थ)

विषय : राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में मतदान और मतों की गणना की कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र

भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में मतदान (17.07.2017 को यदि आवश्यक हुआ) और मतों की गणना (20.07.2017 को यदि अपेक्षित हो) की कवरेज के लिए मीडिया संगठनों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त होने के बाद मीडियाकर्मियों को (फोटो/वीडियो कवरेज के लिए) मतदान केन्द्रों/ गणना केन्द्रों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

2. तदनुसार संपादकों/ब्यूरो प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे 17.07.2017 को होने वाले मतदान/ 20.07.2017 को होने वाली गणना की कवरेज के लिए केवल एक प्रतिनिधि (केवल एक फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर) का नाम भेजें। कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि केवल प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों (फोटो/वीडियो कवरेज) के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रयोजन हेतु विधिवत रूप से भरा हुआ प्रपत्र/आवेदन पत्र 7 जुलाई, 2017 को 18:00 बजे तक अपर निदेशक, पी पी आर विंग, जी-128, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली - 110001 को प्राप्त हो जाने चाहिए। प्रपत्र लोक सभा की वेबसाइट (www.loksabha.nic.in) से "Presidential Election, 2017" लिंक से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

3. ऐसे सभी अनुरोध विहित प्रपत्र में किये जाएँ और संबंधित संगठन के सम्पादक/ब्यूरो प्रमुख के लेटरहेड पर की गई अनुशंसा और तीन स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ भेजे जाएँ। प्रत्येक फोटो के पीछे अनुशंसित मीडियाकर्मी (फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर) का नाम और संगठन का नाम होना चाहिए और इसे प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जो अपनी पी.आई.बी. संख्या का उल्लेख भी करें। संपादकों/ब्यूरो प्रमुखों से प्राप्त अनुशंसा पत्रों में अनुशंसित व्यक्ति के नाम और पूरे पते के साथ इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या वह

व्यक्ति संगठन से सम्बद्ध अथवा असम्बद्ध है और क्या प्राधिकार पत्र (i) मतदान, (ii) मत गणना अथवा (iii) मतदान और मत गणना दोनों के लिए अपेक्षित है। कोई बहुप्रयोजनीय प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

4. 7 जुलाई 2017 को 18:00 बजे के बाद प्राप्त अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी । कृपया इस बात को भी ध्यान में रखें कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण मीडिया के लिए प्राधिकार पत्र केवल सीमित संख्या (अधिकतम सीमा : 100) में ही जारी किए जा सकते हैं । इस महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान में रखें कि लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय द्वारा संसदीय कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को जारी पास राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में मतदान और मतों की गणना की कवरेज के लिए मान्य नहीं होंगे ।

ह/-

(मुकेश कुमार शर्मा)

अपर निदेशक

जी-128, संसदीय ज्ञानपीठ,

संसद भवन परिसर, नई दिल्ली

दूरभाष : 2303-4690/2303-5022; फ़ैक्स सं 2379 2484

प्रेषिती

प्रमुख सम्पादक/सम्पादक/ब्यूरो प्रमुख

प्रत्यायित मीडिया संगठन

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

मीडिया कर्मियों (वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर) के लिए प्रवेश पत्र जारी किये जाने हेतु
आवेदन प्रपत्र

1	व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम	:	
2	पी. आई. बी. संख्या	:	
3	क्या मीडियाकर्मी संगठन से सम्बद्ध है अथवा नहीं	:	
4	संगठन का नाम, पूरा पता और दूरभाष सं (मोबाइल और ईमेल पता)	:	
5	यदि फ्रीलान्स पत्रकार हों, तो पूरा पता, दूरभाष सं और पी. आई. बी. संख्या	:	
6	अपेक्षित प्रवेश पत्र (उपयुक्त विकल्प पर टिक लगाएं)	:	i मतदान के दिन के लिए ii मत गणना के दिन के लिए iii दोनों दिनों के लिए
7	हस्ताक्षर और तारीख (नाम और पदनाम)	:	